राजस्थान सरकार
राजस्व(ग्रुप-6)विभाग

क्रमांक प. 10(3)राज-6/2001/7

समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान।

जयपुर, दिनांकः- 26.3.07

परिपत्र

राजस्व भूमियों पर खनन पट्टा जारी करने व अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के सम्बन्ध में इस विभाग के परिपत्र प.6 (13)राज-6/92/25 दिनांक 29.12.94, दिनांक 18.3.2000 तथा दिनांक 21.2.2006 द्वारा निर्देश जारी किये गये थे। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि चारागाह भूमि पर खनन पट्टे हेतु एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर 4 हैक्टेयर तक की चारागाह भूमि रिलीज करने के अधिकार जिला कलेक्टर को प्राप्त होने के कारण प्रत्येक प्रार्थना पत्र को अलग-अलग मानकर एक ही स्थान पर काफी बड़े-बड़े चारागाह क्षेत्र रिलीज कर दिये हैं। इससे चारागाह सुरक्षित करने का उद्देश्य समाप्त होता जा रहा है।

अतः स्पष्ट किया जाता है कि जिला कलेक्टर किसी राजस्व गांव में अधिकतम 4 हैक्टेयर भूमि ही रिलीज कर सकेंगे। प्राप्त प्रस्तावों को अलग-अलग 4 हैक्टेयर का प्रस्ताव मान कर रिलीज नहीं कर सकेंगे अर्थात् उस राजस्व ग्राम में चारागाह भूमि रिलीज करने के विभिन्न प्राप्त प्रस्तावों में रिलीज चाहने हेतु भूमि की कुल मात्रा 4 हैक्टेयर से अधिक होने पर जिला कलेक्टर अपने स्तर पर उसे रिलीज नहीं कर ऐसे प्रस्ताव इस विभाग को अपनी टिप्पणी/राय के साथ निर्णय हेतु प्रेषित करें।

(के.जी. अग्रवाल) 26/3/07
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय राजस्व मंत्री महोदय।

शासन उप सचिव 26/3/07